

सा.का.नि. 213.-- केन्द्रीय सरकार, भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 27क, की उपधारा(2) के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) के साथ पठित धारा 28क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड (सदस्यों का नामनिर्देशन) नियम, 2003 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड (सदस्यों का नामनिर्देशन) नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा परिभाषित न हो--

(क) "अधिनियम" से भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) अभिप्रेत है;

(ख) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 27क के अधीन गठित केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ग) "तकनीकी सलाहकार" से अधिनियम की धारा 4क की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त तकनीकी सलाहकार अभिप्रेत है;

(घ) "सदस्य" से बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है;

4760 GI/08-2

3. पदेन अध्यक्ष-भारत सरकार का सचिव, जो केन्द्रीय सरकार के विभाग का भारसाधक है, जिसके पास बोर्ड का प्रशासनिक नियंत्रण है, अधिनियम की धारा 27क की उपधारा (2) के खंड (क) के अनुसार पदेन अध्यक्ष होगा।

4. पदेन सदस्य सचिव-तकनीकी सलाहकार, अधिनियम की धारा 27क की उपधारा (2) के खंड (घ) के अनुसार सदस्य सचिव होगा।

5. अन्य सदस्यों के नामनिर्देशन की रीति-(i) ज्येष्ठ तकनीकी अधिकारी जो बॉयलरों के निरीक्षण और परीक्षा से अवगत हो जिससे प्रत्येक राज्य की सरकार द्वारा (संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न) अधिनियम की धारा 27क की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसार नामनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ii) ऊपर उपनियम (i) में नामनिर्दिष्ट समान संख्या में अन्य सदस्य जो 28 से अधिक नहीं होंगे, अधिनियम की धारा 27क की उपधारा (2) के खंड (ग) के अनुसार निम्नलिखित रीति में नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे :-

- (क) भारी उद्योग विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य जिसे भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के परामर्श में नामनिर्दिष्ट किया जाए ;
- (ख) इस्पात विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य जिसे इस्पात मंत्रालय के परामर्श में नामनिर्दिष्ट किया जाए ;
- (ग) पेट्रोलियम और प्रकृतिक गैस मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य जिसे उस मंत्रालय के परामर्श में नामनिर्दिष्ट किया जाए ;
- (घ) श्रम मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य जिसे उस मंत्रालय के परामर्श में नामनिर्दिष्ट किया जाए ;
- (ङ.) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य जिसे उस मंत्रालय के परामर्श में नामनिर्दिष्ट किया जाए ;
- (च) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य जिसे विद्युत मंत्रालय के परामर्श में नामनिर्दिष्ट किया जाए ;
- (छ) भारतीय मानक ब्यूरो का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य जिसे ब्यूरो के परामर्श में नामनिर्दिष्ट किया जाए ;
- (ज) संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य जिसे गृह मंत्रालय के परामर्श में नामनिर्दिष्ट किया जाए ;
- (झ) कानफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री या फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री या एसोसिएटिड चैंबर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया से एक सदस्य ;
- (ञ) बॉयलर मैनुफैक्चर एसोसिएशन से एक सदस्य ;
- (ट) बॉयलर कंपोनेंट मैनुफैक्चर एसोसिएशन से एक सदस्य ;
- (ठ) बॉयलर और बॉयलर कंपोनेंट मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए चार सदस्य ;
- (ड) राष्ट्रीय परीक्षणशाला का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो सदस्य ;
- (ढ) इंजीनियरिंग परामर्शी संगठन/निरीक्षण अधिकरण का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो सदस्य ;
- (ण) बॉयलर एंडर उद्योग का प्रतिनिधित्व करने के लिए चार सदस्य ; और
- (त) किसी अन्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए पांच से अधिक सदस्य जो केन्द्रीय सरकार की राय में जिनका बोर्ड पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

6. नाम निर्देशित सदस्यों की पदावधि-(1) नियम 5 के अधीन नामनिर्देशित प्रत्येक सदस्य राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से सामान्यतया तीन वर्षों की अवधि के लिए केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड के परामर्श के लिए तब तक पद धारण करेगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्यथा निर्देश न किया जाए।

(2) नामनिर्देशित सदस्य, बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र संबोधन करके अपने पद से त्यागपत्र दे सकेंगा।

[फा. सं. 6 (6)/2008-बॉयलर्स]

गोपाल कृष्णा, संयुक्त सचिव